B- 3 & 4
L - 10
Social Justice

जनजातीय समस्या के समाधान हेतु किये गए प्रयास

- नीतिगत प्रयास
- योजनागत प्रयास
- संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास

Topic

जनजातीय विकास नीति - एकीकरण की नीति :-

भूमिका :-

- ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत का जनजातीय समाज पृथक आत्मनिर्भर एवं खुशहाल था।
- ब्रिटिश शासनकाल में - जनजातियों का मुख्य समाज के साथ सम्पर्क संभव हुआ और उनमें ढेर सारी समस्याओं का उद्भव हुआ।
- जनजातियों से संबंधित ब्रिटिश कालीन नीति - सात्मीकरण (Assimilation) की नीति एवं पृथक्करण की नीति अव्यवहारिक एवं अतार्किक थी।
- फलतः स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी - जनजातीय समुदाय अनेक समस्याओं से ग्रसित रहा।

Scanned by CamScanner

• फलतः स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा जनजातीय विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एकीकरण की नीति को प्रस्तावित किया गया।

(B) जनजातियों से संबंधित एकीकरण की नीति का अर्थ एवं लक्षण :-

जनजातियों से संबंधित एकीकरण की नीति में-

• जनजातियों को विकास की मुख्य धारा में शामिल किए जाने पर बल दिया गया।

• जनजातियों को अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाये रखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

इस हेतु 1959 में नेहरू जी द्वारा पंचशील का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्न पर बल दिया गया-

(i) जनजातियों का विकास उनकी प्रकृति के अनुसार हो और उन पर कुछ भी थोपा नहीं जाए।

(ii) जनजातीय विकास उनके समाज एवं संस्कृति के साथ समंजस्य बनाये रखते हुए किया जाए।

(iii) जनजातीय क्षेत्रों के विकास एवं प्रशासन

Scanned by CamScanner

हेतु, बाहरी लोगों के उपयोग पर कम से कम बल दिया जाए।

(iv) जनजातीय विकास का मूल्यांकन गुणात्मक अर्थों में किया जाए।

(v) भूमि एवं वनों पर जनजातियों के अधिकारों को मान्यता दी जाए।

समीक्षा एवं निष्कर्ष

- स्वतंत्र भारत की यह एकीकरण की नीति लोकतांत्रिक मान्यताओं के अनुरूप है
- एकीकरण की यह नीति ऐतिहासिक प्रवृत्तियों से मेल खाती है।
- एकीकरण की यह नीति भारतीय समाज/ भारतीय संविधान में निहित विविधता में एकता के आदर्श के अनुरूप है।

फलतः एकीकरण की यह नीति सर्वाधिक उपयुक्त, प्रचलित, मान्य एवं सफल है।

Scanned by CamScanner

Topic- जनजातियों के रक्षोपाय हेतु किए गए संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास

भूमिका ⇒ स्वतंत्रता के बाद भारत के जनजातीय समुदाय को एक कमजोर / पिछड़े वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया और उन्हें ST के रूप में अनुसूचित करके उनके विकास, उनके रक्षोपाय एवं बेहतरी के लिए कई संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास किए गए।

संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास :-

(i) अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 आदि द्वारा कुछ निश्चित अधिकारों का संरक्षण।

(ii) अनुच्छेद 46- जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु विशेष प्रयास का प्रावधान।

(iii) अनुच्छेद 164- जनजातियों के लिए प्रभारी मंत्री का प्रावधान

(iv) अनुच्छेद 338- जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान।

(v) अनुच्छेद 244 - अनुसूचित क्षेत्र (5वीं अनुसूची)

Scanned by CamScanner

एवं जनजातीय क्षेत्र (6वीं अनुसूची) के प्रशासन से संबंधित प्रावधान।

(vi) अनुच्छेद 330, 332 335 – क्रमशः लोकसभा, विधानसभा, एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान।

(vii) अनु० 275 - जनजातीय विकास हेतु विशेष अनुदान का प्रावधान।

(viii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना (1993, 2004)

(ix) वन अधिकार अधिनियम 2006।

(x) अंडमान निकोबार द्वीप समूह (मूलआदिवासियों का संरक्षण) संशोधन विनियम - 2012

(xi) भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम - 2013

(xii) SC, ST अत्याचार निरोधक अधिनियम: (1989 - 2015)

मूल्यांकन एवं सुझाव

उपरोक्त प्रयासों से निश्चित रूप से जनजातियों के विकास एवं रक्षोपाय की दिशा में काफी सफलता मिली है और इनका राजनीतिक आर्थिक एवं शैक्षिक सशक्तिकरण संभव हुआ है।

Scanned by CamScanner

(b) परन्तु अभी भी जनजातीय विकास एवं रक्षोपाय के सन्दर्भ में हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं (कमियों की चर्चा करें। इनकी वर्तमान समस्याओं की चर्चा करें।

c इसके लिए निम्न कारण उत्तरदायी रहे हैं-

(i) संविधान एवं कानून में अस्पष्टता।

(ii) लेट-लतीफ, जटिल एवं मंहगी न्याय व्यवस्था।

(iii) ST में, गरीबी, अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव

(iv) कानून प्रवर्तन एजेन्सियों में दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव तथा इनमें व्यापत भ्रष्टाचार

(v) जनजातियों में स्वयं को अलग-थलग एवं संरक्षित रखने की प्रवृत्ति।

(vi) विशेष कानूनी प्रावधानों में निहित कमियाँ

(जैसे- 5वीं अनुसूची, वन अधिकार अधिनियम आदि)

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

Scanned by CamScanner

8. सुझाव - निम्न सुझावों पर अमल करके उपरोक्त संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयासों को प्रभावशाली बनाया जा सकता है जैसे-

(a) सामान्य कानूनी प्रावधानों के लिए सुझाव:-

1- संविधान एवं कानून का यथासंभव स्पष्टीकरण किया जाए और इसमें निहित जटिलता को समाप्त किया जाए।

2. न्याय व्यवस्था से संबंधित अवसंरचना का विस्तार किया जाए और त्वरित न्याय व्यवस्था को स्थापित किया जाए।

3. गरीब जनजातियों के लिए निःशुल्क न्याय प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था की जाए।

4. जनजातियों में शिक्षा के प्रसार द्वारा उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ कानूनी प्रावधानों को लागू किया जाए।

5. भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाए।

(b) विशेष संवैधानिक प्रावधानों के सन्दर्भ में सुझाव

(5वीं एवं 6वीं अनुसूची, वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सुझाव की चर्चा करें।

Scanned by CamScanner

Topic 5वीं एवं 6ठीं अनुसूची

PDF Notes

5वीं एवं 6ठीं अनुसूची का मूल्यांकन एवं सुझाव

PDF Notes

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

PDF Notes

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner